11.03.2025

अप्रार्थी कविता दिवान, नीना दिवान एवम् हिमांशु दिवान द्वारा जरिए वकील श्री संजय जनवेजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त अनवान का वाद, वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्त अधि० प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 15/4122 मुररर्र है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त भूमि को वाणज्यिक संपरिवर्तन करवाने के लिए कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में आवेदन किया था, जिसमें जिला कलक्टर के आदेशानुसार कनवेजन फीस 1,07,100/– रूपये अखरे एक लाख सात हजार एक सौ रूपये जमा करवाई हुई है। आवेदन पत्र व बैंक ई चालान की प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा प्रार्थीगण को सूचित किया गया कि उक्त रकबा नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में आ जाने के कारण आपका प्रार्थना पत्र वापस लौटाया जाता है, जिस पर मेरे द्वारा नगर विकास न्यास में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। मगर बाद में नगर विकास न्यास के अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण से ऑनलाईन आवेदन करने के लिए कहा, तो प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया। जो कि अभी विचाराधीन है। जब उक्त पत्रावली श्रीमान तहसीलदार के पास रिपोर्ट हेतु गई तो हमें धारा 177 की कार्यवाही का पता चला। धारा 177 की कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान भू० रूपान्तरण संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गई है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि को वाणिज्यक संपरिवर्तन करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत हैं तथा आवेदन पत्र विचाराधीन है, माननीय न्यायालय से प्रकरण निरस्त होने पर शीघ्र ही उक्त भूमि का भू संपरिवर्तन करवा लिया जावेगा। जिसके लिए प्रार्थीगण वचनबद्ध हैं । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवानकी पत्रावली को पेशी में लिया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमि का संपरिवर्तन करवा सके। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य ई–चालान प्रति कमांक 0016578765 दिनांक 05.05.2017 रूपये 107,00/– की प्रति, श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र कमांक 1127 दिनांक 16.02.2018 की प्रति, प्रार्थीगण द्वारा नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रार्थीगण द्वारा भूमि संपरिवर्तन करवाये जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांकित 30.08.2017 की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत साहूवाला द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात ई–चालान प्रति कमांक 0016578765 दिनांक 05.05.2017 रूपये 107,00/– की प्रति, श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र कमांक 1127 दिनांक 16.02.2018 की प्रति, प्रार्थीगण द्वारा नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रार्थीगण द्वारा भूमि संपरिवर्तन करवाये जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांकित 30.08.2017 की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत साहूवाला द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि को संपरिवर्तन किये जाने बाबत सक्षम अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगर विकास न्यास द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण **तीन माह** के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात् तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात् यदि

अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवा कर आगमी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner